

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्र० 759/आर-501/2021/ब-1/चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 26/08/2021

आयुक्त
कोष एवं लेखा,
पर्यावास भवन, भोपाल।


विषय:- मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) अधिनियम, 2021 दिनांक 23/08/2021
के अंतर्गत किये गये प्रावधानों के संबंध में।

संदर्भ:- वित्त विभाग का परिपत्र क्र. 748/आर-501/2021/ब-1/चार दिनांक
25/08/2021

-000-

उपरोक्त संदर्भित विषय पर मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) अधिनियम, 2021
में प्रावधानित प्रतीक प्रावधानों (केवल केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं) की राशि विमुक्त करने
की अनुमति प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(भास्कर लक्ष्मीकार)
संचालक बजट

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ० क्र० 760 /501/2021/ब-1/चार
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 26/08/2021

- 1 अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/ सचिव मप्र शासन, संबंधित विभाग की
ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 2 उप सचिव, मप्र शासन, वित्त विभाग, संबंधित बजट शाखा, की ओर सूचनार्थ।



उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग